"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] रायपुर, बुधवार, दिनांक 05 मार्च 2014—फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-14/2014/वाक/पांच (44).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा दिनांक 01-04-2014 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2008/वाक/पांच (27) दिनांक 31-03-2008 की अनुसूची के अ.क्र. 1 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय.

2: अधिसूचना क्रमांक एफ-10-11/2013/वाक/पांच (16) दिनांक 28-03-2013 की अनुसूची के अ.क्र. 12 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय.

3. अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2013/वाक/पांच (25) दिनांक 30-03-2013 की अनुसूची के कॉलम (3) के पश्चात निम्नानुसार कॉलम (4) जोड़ा जाय :-

निर्बंधन एवं शर्ते
(4)

जब ऐसे माल का उत्पादन एवं विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई, जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत है, के द्वारा किया जाय.

स्पष्टीकरण - (1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी विद्यमान इकाई का दिनांक 31-03-2014 तक, तथा 01-04-2014 या इसके पश्चात् उत्पादन में आने वाली इकाई का उत्पादन दिनांक तक, संयंत्र एवं मशीनरी में कुल विनियोजन, अवक्षयण (depreciation) के पूर्व रू. 10 करोड़ से अधिक न हो.

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोजन की गणना भारत शासन के लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ.1722 (अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के अनुसार की जायेगी.

4. निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2014" के स्थान पर, अंक "2015" प्रतिस्थापित किया जाय :-

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16)	30-03-2006
2.	एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29)	12-04-2006
3.	एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56)	14-06-2006
4.	एफ-10/27/2008/वाक/पांच (19)	28-03-2008
5.	एफ-10/33/2008/वाक/पांच (27)	31-03-2008
6.	एफ-10/49/2008/वाक/पांच (38)	25-06-2008
7.	एफ-10/64/2008/वाक/पांच (53)	27-09-2008
8.	एफ-10/03/2009/वाक/पांच (08)	27-01-2009
9.	एफ-10/15/2009/वाक/पांच (25)	27-05-2009
10.	एफ-10/26/2010/वाक/पांच (29)	26-03-2010
11.	एफ-10/26/2010/वाक/पांच (30)	26-03-2010
12.	एफ-10/47/2010/वाक/पांच (64)	08-10-2010
13.	एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23B)	31-03-2011
14.	एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23C)	31-03-2011
15.	एफ-10/15/2012/वाक/पांच (20)	31-03-2012
16.	एफ-10/15/2012/वाक/पांच (21)	31-03-2012
17.	एफ-10/10/2013/वाक/पांच (12)	28-03-2013
18.	एफ-10/11/2013/वाक/पांच (16)	28-03-2013
19.	एफ-10/11/2013/वाक/पांच (17)	28-03-2013
20.	एफ-10/11/2013/वाक/पांच (25)	30-03-2013
21.	एफ-10/46/2013/वाक/पांच (58)	29-08-2013

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-14/2014/वाक/पांच (44).—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-14/2014/वाक/पांच (44) दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10-14/2014/CT/V (44).—— In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2014 :-

AMENDMENT

1. In Schedule of notification No. F-10-33/2008/CT/V (27) dated 31-03-2008, the related entry of S.No. 1 shall be omitted.

2. In Schedule of notification No. F-10-11/2013/CT/V (16) dated 28-03-2013, the related entry of S.No. 1 shall be omitted.

3. In Schedule of notification No. F-10-11/2013/CT/V (25) dated 30-03-2013, after column (3) the following column (4) shall be added :-

Restrictions and conditions
(4)

When such goods are manufactured and sold by a small or medium scale industry situated in Chhattisgarh who is registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

Explanation - (1) for the purpose of this notification small or medium scale industrial unit means such existing unit in which upto 31-03-2014, and industrial unit commencing production on or after 01-04-2014, upto date of production, total investment in plant & machinery, before depreciation does not exceed Rs. 10 crore.

(2) for the purpose of this notification investment in plant & machinery shall be calculated as per notification No. S.O. 1722(E) dated 5 October,2006 of Ministry of Small Scale Industries, Govt. of India.

4. In the following notifications for the figure "2014" related to period of the notification, the figure "2015" shall be substituted.

S.No.	Notification No.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	F-10/28/2006/CT/V (16)	30-03-2006
2.	F-10/24/2006/CT/V (29)	12-04-2006
3.	F-10/64/2006/CT/V (56)	14-06-2006
4.	F-10/27/2008/CT/V (19)	28-03-2008
5.	F-10/33/2008/CT/V (27)	31-03-2008
6.	F-10/49/2008/CT/V (38)	25-06-2008
7.	F-10/64/2008/CT/V (53)	27-09-2008
8.	F-10/03/2009/CT/V (08)	27-01-2009
9.	F-10/15/2009/CT/V (25)	27-05-2009
10.	F-10/26/2010/CT/V (29)	26-03-2010
11.	F-10/26/2010/CT/V (30)	26-03-2010
12.	F-10/47/2010/CT/V (64)	06-10-2010
13.	F-10/23/2011/CT /V (23B)	31-03-2011
14.	F-10/23/2011/CT/V (23C)	31-03-2011
15.	F-10/15/2012/CT/V (20)	31-03-2012
16.	F-10/15/2012/CT/V (21)	31-03-2012
17.	F-10/10/2013/CT/V (12)	28-03-2013
18.	F-10/11/2013/CT/V (16)	28-03-2013
19.	F-10/11/2013/CT/V (17)	28-03-2013
20.	F-10/11/2013/CT/V (25)	30-03-2013
21.	F-10/46/2013/CT/V (58)	29-08-2013

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.